



2026:AHC:43094

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या -7650/2026

ब्रह्मदेव

..... याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 19 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता

जगदीश सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1-याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2-प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो उसे आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3-याची द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या- 2/उप-जिलाधिकारी/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील कसया, जनपद कुशीनगर को निर्देशित किया जाए कि सीमांकन आवेदन/वाद संख्या 1875/2023, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T- 202305440401875 (ब्रह्मदेव बनाम सुरेश एवं अन्य), धारा 24, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत, का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4-याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दीर्घकाल से लंबित है। इस स्तर पर धारा 24 की उपधारा (3) का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो यह अपेक्षित करता है कि इस प्रकार के आवेदन का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा समयबद्ध अवधि में विधि के अनुसार किया जाए। धारा 24(3), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 इस प्रकार है—

“(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निष्पादित की जाएगी।”

5-उपर्युक्त विधिक प्रावधान तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील कसया, जनपद कुशीनगर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद को ग्रहण कर उसके गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर निस्तारित करें तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

6-उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7-यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के विवाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

25 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।